न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 13/352

ओम प्रकाश पुत्र बम्मूल जी जाति माली आयु 62 वर्ष निवासी नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

पंचायत जेठियान छोडा अखाडा नान्ता जरिये अध्यक्ष कन्हैयालाल जमादार पुत्र श्री शिवशंकर जाति जेठी निवासी नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री मोहन लाल मेढतवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 09.05.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2013 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 1415, 1416, 1421, 1422, 1423, 1424, 1435, 1439, 1498, 1499, 1505 की कुल 11 किता की रकबा 1.32 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें आराजी खसरा नम्बर 1505 वादी के हिस्से व कब्जे में स्थित है । उक्त भूमि पर वादी बतौर खातेदार काबिज काश्त है । प्रतिवादी पंचायत जेठियान छोटा अखाडा की आराजी खसरा नम्बर 1535 व 1536 की 02 किता रकबा 0.36 हैक्टर भूमि ग्राम नान्ता में स्थित है । वादी के कब्जे काश्त की आराजी में खसरा नम्बर 1505 के दक्षिण साइड में पत्थरों की कोट सदैव से पुश्तैनी कायम चली आ रही है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी के वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1505 ग्राम नान्ता तहसील लाडपुरा जिला कोटा के दक्षिण साइड वाली पत्थरों की सदैव से कायम चली आ रही कोटा को ताकत के बल पर न तो तोडफोड कर क्षतिग्रस्त करे और न ही कोट को तोडकर अपने खते में आने जाने का प्रयास करे और न वादी के खेत की सुरक्षा व फसल की सुरक्षा में कोई बाधा उत्पन्न करें ।

स्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2013 के द्वारा वादी का वाद खारिज दिया ।

धीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2013 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया । वादी अपीलान्ट ने जिस भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया है वह अपीलान्ट के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है और अपीलान्ट उक्त भूमि को रिकॉर्डेड खातेदार है । रिकॉर्डेड खातेदार के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष न्यायहित में दिया जाना चाहिए । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 28.10.2013 निरस्त किया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में एक वाद अन्तर्गत धारा 188 का प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया । प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि है इस प्रकार अपीलान्ट उक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है और रिकॉर्डेड खातेदार के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष न्यायहित में दिया जाना चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.10.2013 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 25.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा